मुकदमा नंबर सन्..20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/6/18	वकील वादी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी के तर्क है कि उसके हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 से 30 दीगर व्यक्ति को बेचने पर आमादा है। प्रतिवादी पैरोकार सरकार उपस्थित उसने निवेदन किया कि यदि कोई सह खातेदार अपने हिस्से की भूमि को बेचना चाहे तो बेचने से रोका नहीं जा सकता। चूंकि विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। अतः किसी सहखातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि वादी एवं प्रतिवादी 1 से 30 विवादित आराजी मे सहखातेदार है। ऐसी स्थिति मे प्रतिपादित न्याय सिद्धान्तानुसार किसी सहखातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा नही दी जा सकती वाद पत्र मेरिट पर तय किया जाना है। वर्तमान स्थिति मे अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद दफतर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) (सुरेश चावला) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर) राज०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 16:58:45 IST
Reason: SelfAttested